(वाद संख्या–4621/18)

10.11.2020

परिवादी, सुमित्रा कुमारी यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश इन्टरीमीडिएट वित्तरहित संघर्ष मोर्चा (केसरिया, पूर्वी चम्पारण) एवं उक्त संघर्ष मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, श्री सिपाही राय, व्याख्याता, मनोविज्ञान विभाग उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला राज्य सरकार द्वारा राज्य के वित्तरहित इन्टरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के शोषण एवं अधिकार हनन करने से संबंधित है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में वित्तरहित इन्टरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित छः बिन्दुओं पर अनुतोष की याचना की गयी है :–

1. बकाया अनुदान राशि के एकमुश्त शीघ्र भुगतान।
2. अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाना।
3. सेवाशर्त्त लागू करना।
4. छात्र–छात्राओं के अनुपात में पदों का सृजन।
5. सेवानिवृत्ति की आयु–सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना।
6. बिहार सरकार के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–11/व12/3/96/975 पटना, दिनांक 15 जुलाई, 1997 एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक–11/व2–033/96 से0–1105 पटना, दिनांक 18 अक्टुबर 2001 के आलोक में वित्तरहित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अर्हता के अनुसार वेतनमान का निर्धारण कर वित्तरहित शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण किया जाना।

उक्त के संबध में निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में सत्र 2012–14 के अनुदान राशि को विमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जिस क्रम में अनुदान की राशि वर्षवार विमुक्त की जाती है, उसके आधार पर अनुदान समिति के द्वारा उसे निर्गत कर दिया जाता है।

वैसे परिवादी का कथन है कि सरकार द्वारा सत्र 2013–15 व 2014–16 के लिए कुल 630 करोड़ की अनुदान राशि विमुक्त करने का निर्णय लिया जा चुका है जिनमें से 130 करोड़ की राशि विमुक्त भी की जा चुकी है। शेष 500 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की जानी है।

जहाँ तक अनुदान के बदले वेतनमान दिये जाने, छात्र/छात्राओं के अनुपात में पदों का सृजन करने, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने तथा विद्यालयों/महाविद्यालयों के अधिग्रहण का प्रश्न है, यह चारो विषय सरकार के **नीतिगत विषय** है जिस पर राज्य सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।

जहाँ तक सेवाशर्त लागू करने का प्रश्न है, सरकार के प्रतिवेदनानुसार, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.08.2017 को सर्वसाधारण के लिए सूचना **ई–गजट** में प्रकाशित की जा चुकी है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवाद–पत्र में उठाया गया मामला किसी **व्यक्ति विशेष** से संबंधित नहीं है अपितु वित्तरहित कॉलेजों में कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से संबंधित है तथा परिवाद–पत्र में मुख्य रूप से वेतनमान एवं सेवाशर्त्त का प्रश्न उठाया गया है जो राज्य सरकार का **नीतिगत विषय** है **तथा वह मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। स्वयं उपस्थित परिवादी द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है।**

अतः उक्त परिस्थिति में **निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक